न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/147

श्रीमती रमकू बाई पत्नी श्री मोहन लाल जाति तेली निवासी ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामलाल आत्मज श्री पन्ना लाल जाति तेली निवासी उण्डवा ।
2. देवलाल आत्मज श्री धन्ना लाल जाति तेली निवासी उण्डवा ।
3. बाबूलाल आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी उण्डवा ।
4. कैलाश चन्द आत्मज श्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी उण्डवा ।
5. बदन बाई बेवा श्री लक्ष्मीनारायण जाति तेली निवासी उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

दिनांक: 06.10.2017

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 एवं 92 ए के अन्तर्गत ग्राम उण्डवा तहसील रामगंजमण्डी की कुल किता 08 की रकबा 17 बीघा 14 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया और कथन किया कि उक्त भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा होकर पारिवारिक विभाजन में प्राप्त हुई । अतः वादी को उक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे ।

प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. तत्पश्चात् प्रतिवादी कम 2 देवलाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2016 के द्वारा प्रतिवादी कम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद एंव प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम दोनों खारिज कर दिये ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का निस्तारण केवल मात्र वादपत्र को देख कर ही किया जाना चाहिए परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जवाबदावे में उल्लेखित तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त आदेश पारित किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि प्रतिवादी कम 1 द्वारा धन्ना के पक्ष में तथाकथित रिलीज डीड सर्वथा अवैध है क्योंकि रिलीज डीड किसी एक सहखातेदार के पक्ष में न कर सभी सहखातेदारान के पक्ष में होनी चाहिए । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.02.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 2 द्वारा प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण तकनीकी आधार पर किया जाना न्यायहित में उचित नहीं है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

[illegible] विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । [illegible] न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 23.02.2016 निरस्त किया जाता है । [illegible] अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा